सरकारी नौकरी के लिए फर्जी खेल प्रमाण पत्र का गोरखधंधा उजागर

एस.ओ.जी. टीम के हत्थे चढ़ा शिक्षा विभाग का यूडीसी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्रियों के बाद अब फर्जी खेल प्रमाण पत्र का बड़ा खेल सामने आया है। जहां स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2022 में फर्जी ताईक्वाण्डो सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने की कोशिश करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शिक्षा विभाग के एक यूडीसी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने न केवल प्रमाण पत्र बेचे, बल्कि उनके सत्यापन के लिए फर्जी ईमेल आईडी तक बना डाली। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। अतिरिक्त महानिदेशक

आरोपी जगदीश सारण

पुलिस (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वर्ष 2022 में आयोजित तृतीय श्रेणी

- **आरोपी ने 2.30 लाख में थमाए थे फर्जी खेल प्रमाण पत्र**

अध्यापक (लेवल-1) भर्ती में खेल कोटे के तहत कई अभ्यर्थियों ने ताईक्वाण्डो के नेशनल लेवल सर्टिफिकेट पेश किए थे। जांच में सामने आया कि ताईक्वाण्डो फेडरेशन ऑफ इण्डिया की मिलती-जुलती फर्जी ईमेल आईडी बनाकर निदेशालय बीकानेर को फर्जी सत्यापन रिपोर्ट भेजी गई थी। इसी मामले में एसओजी ने प्रकरण संख्या 98/2024 दर्ज कर जांच शुरू की थी।एसओजी ने इस मामले में जगदीश सारण (39) पुत्र गोपीराम जाट को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, धोद (सीकर) में यूडीसी के पद पर तैनात है। पूछताछ में सामने आया कि जगदीश ने करीब 3 साल पहले बीकानेर में एक शादी समारोह के दौरान योगेंद्र कुमार नामक व्यक्ति से मुलाकात की थी। उसने 2.30 लाख में ताईक्वाण्डो का नेशनल सर्टिफिकेट दिलवाने का सौदा किया। आरोपित जगदीश ने अपने रिश्तेदार रामचन्द्र पीटीआई (निवासी डेह, नागौर) के जरिए यह फर्जी प्रमाण पत्र मंगवाकर दिया था।आरोपी जगदीश सारण पहले से ही शारीरिक शिक्षक भर्ती-2022 (पीटीआई) में फर्जी बी.पी.एड. डिग्री मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। एसओजी ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर प्राप्त कर इस नए मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है। आरोपी के भाई मुकेश सारण को भी फर्जी डिग्री मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका है।

जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि फरार चल रहे रामचन्द्र पीटीआई ने जगदीश के माध्यम से अन्य कई अभ्यर्थियों-मुमताज, ज्योतिरादित्य, मांगीलाल, बबीता जाखड़ और ममता कुमारी को भी फर्जी खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए थे। एसओजी की टीम अब फरार पीटीआई और इस गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश में जुटी है।

"ई-नाम" प्लेटफॉर्म पर व्यापार में राजस्थान प्रथम स्थान पर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कृषि व्यापार के डिजिटल रूपांतरण में राजस्थान रच रहा कीर्तिमान

जयपुर (कासं)। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म देश में मंडियों को डिजिटल रूप से एकीकृत कर पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-आधारित कृषि व्यापार को आसान बना रहा है। राजस्थान में 173 मंडियों के ई-नाम में जुड़ने से लाखों किसानों सहित सभी हितधारकों के लिए अवसरों का विस्तार हुआ है और पारदर्शी एवं कुशल कृषि विपणन को गति मिली है। यही नहीं, प्रदेश के किसान अब ई-नाम के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों को देश भर में बेच कर अपनी उपज के अधिक दाम पा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिल रही है।

किसान सिर्फ स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं रहें, वे देशभर के खरीददारों को ऑनलाइन बिकवाली कर अपनी उपज का सही मूल्य ले सकें, इस उद्देश्य से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म की शुरुआत 14 अप्रेल, 2016 को की गई थी।

इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया से खरीददार और विक्रेता दोनों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। किसान रीयल-टाइम में कीमतों का पता लगा सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। फसल बेचने के बाद सीधे किसानों के बैंक खातों में

- **ई-नाम पर कुल आवक के मामले में देश में दूसरे नंबर पर रहा प्रदेश**

डिजिटल भुगतान की सुविधा है। व्यापारियों को पूरे राज्य के लिए एकल लाइसेंस मिलता है, जो राज्य के सभी बाजारों में मान्य होता है। ई-नाम पोर्टल का नवीन संस्करण ई-नाम 2.0 केन्द्र सरकार द्वारा 12 फरवरी 2026 से लागू किया गया है। इस नए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वचालित बोली प्रणाली, मांग-आपूर्ति डेटा, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक सहायता जैसी सुविधाओं के द्वारा अंतर-राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना है।

राजस्थान में ई-नाम के माध्यम से 15 लाख 55 हजार से अधिक किसान, 87 हजार 509 व्यापारी और 27 हजार 989 कमीशन एजेंट्स को एक मंच पर लाया गया है।

प्रदेश में 546 किसान-उत्पादक संगठन (एफपीओ) ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं। ई-नाम के जरिए राजस्थान में 138 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। जैसे-जैसे यह प्लेटफॉर्म विकसित हो रहा है, बाजार संपर्क बढ़ रहा है और व्यापार में भी तेजी आ रही है। 2016 से जनवरी 2026 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में 3.16 करोड़ मीट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ है, जिसका कुल मूल्य एक लाख 30 हजार 772 करोड़ रुपए से अधिक है। इस तरह ई-नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आवक के मामले में राजस्थान दस साल में दूसरे एवं ई-ट्रेड में प्रथम स्थान पर रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में उपज के गुणवत्ता मूल्यांकन में एआई के उपयोग की पहल भी की गई है। वर्तमान में राजस्थान में 134 ई-नाम मंडियां कृषि उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए एआई-आधारित और एमएल-आधारित मशीनों का उपयोग कर रही हैं। इससे परीक्षण के समय में उल्लेखनीय कमी आई है।

ई-नाम प्लेटफॉर्म डिजिटल भुगतान प्रणालियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे किसानों के वित्तीय समावेशन में मदद मिल रही है।

ई-ट्रांजेक्शन के सत्यापन योग्य वित्तीय रिकॉर्ड तैयार होने से संस्थागत ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक किसानों की पहुंच बढ़ती है। राजस्थान में 44 हजार 711 सौदों में 505 करोड़ रुपए से अधिक का ई-भुगतान किया गया है। ई-भुगतान में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर रहा है।

डीजीपी ने किया आईएफएस प्रोबेशनर्स से संवाद

जयपुर (कासं)। राजस्थान कैडर के वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के सात प्रोबेशनर्स अधिकारियों ने गुरुवार को जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद सत्र में भाग लिया। यह संवाद प्रशिक्षण का अहम हिस्सा होने के साथ-साथ वन विभाग और पुलिस के बीच समन्वय को नई दिशा देने वाला रहा।

संवाद के दौरान राजीव कुमार शर्मा ने वन संरक्षण से जुड़े कानूनों, वन क्षेत्रों में होने वाले अपराधों, नवीन आपराधिक कानूनों तथा कानून-व्यवस्था की चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वन विभाग और पुलिस के बीच मजबूत तालमेल से अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण और वन्यजीव अपराध जैसे संवेदनशील मामलों में प्रभावी कार्रवाई संभव है।

बैठक में अधिकारियों को पुलिस तंत्र की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था बनाए रखने की रणनीतियों और अपराध नियंत्रण के व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं, आईएफएस प्रोबेशनर्स ने वन संरक्षण,

राजस्थान कैडर के वर्ष 2024 बैच के भारतीय वन सेवा के सात प्रोबेशनर्स अधिकारियों ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा से मुलाकात की।

जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए बहु-विभागीय सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर दोनों सेवाओं के बीच निरंतर संवाद और सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। संयुक्त प्रयासों से न केवल अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी बेहतर ढंग से सुनिश्चित की जा सकती है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने प्रोबेशनर्स को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पुलिस के साथ सतत समन्वय बनाए रखने की सलाह दी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) शिखा मेहरा के नेतृत्व में पहुंचे आईएफएस अधिकारियों ने भी साझा जिम्मेदारियों वाले क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई।

संवाद सत्र में पुलिस मुख्यालय से डीजी संजय अग्रवाल, अनिल पालीवाल, एडीजी वी.के. सिंह, बिपिन पाण्डे, हवासिंह घुमरिया, एस. सेंगाथिर, रूपिंदर सिंह और डीआईजी कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की समीक्षा

जयपुर । मुख्यमंत्री विकसित ग्राम एवं शहरी वार्ड अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर बुधवार को शासन सचिवालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन एवं शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज डॉ. जोगा राम ने की।

बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण लाल पालीवाल ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों, बेसलाइन सर्वे, डेटा एंट्री, जीआईएस मैपिंग और मास्टर प्लान तैयार करने की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।रवि जैन ने कहा कि डेटा संकलन, एंट्री और जीआईएस मैपिंग समय पर पूर्ण करते हुए गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

पूर्व सीएम के नाम से फर्जी पत्र बनाने वाले चारों आरोपी रिमांड पर

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम से फर्जी लेटर और एआई तकनीक से तैयार वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को जयपुर की अदालत में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने मोहाली (पंजाब) निवासी अमृता धुमाल को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि भोपाल निवासी निखिल, बिलाल खान और इनाम अहमद को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। ज्योति नगर थाना पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी। पुलिस एआई वीडियो तैयार करने की प्रक्रिया, फर्जी लेटर के स्रोत और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है।

डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि फिलहाल मामला वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी लेटर किसने तैयार किया, उस पर हस्ताक्षर किसने किए और उसे सोशल मीडिया पर किसने वायरल किया-ये सभी जांच के अहम बिंदु हैं।

अभी तक केवल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज होने से जांच का दायरा सीमित है। हालांकि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वीडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया था और इसमें अमृता धुमाल की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इसके बाद भोपाल के तीनों आरोपियों द्वारा इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।

इस मामले में यह भी सामने आया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से संघ प्रमुख को संबोधित एक फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था, जिसे एआई तकनीक की मदद से वीडियो के रूप में भी शेयर किया गया। पुलिस ने निखिल, बिलाल खान और इनाम अहमद को मध्यप्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया था, जबकि अमृता धुमाल को पंजाब के मोहाली से पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे सक्रिय नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

भाजपा के नारी सम्मान प्रदर्शन में उमड़ा जनसैलाब

जयपुर । नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देशभर में उठ रही आवाजों के बीच गुरूवर को जयपुर में भाजपा जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने दुर्गापुरा बस स्टैंड पर विशाल एवं प्रचंड विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन ने जनआक्रोश का ऐसा रूप लिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला शक्ति एवं युवा शक्ति सड़कों पर उतर आई और जमकर नारे लगाए।

स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर के.के.गुप्ता ने "सफाई सेवा मैराथन" की सराहना की

नगर निगम जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मैराथन के विजेताओं को सम्मानित किया

डॉ. के.के. गुप्ता

विजेता ताराचंद जांगिड़, नीलम शर्मा और प्रेम सिंह

जयपुर । राजधानी जयपुर में गत 18 अप्रैल को आयोजित 'सफाई सेवा मैराथन 2026' में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वच्छता सिपाहियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता ने कहा कि देशभर में ऐसे अभियान चलाए जाने चाहिए। जयपुर ने एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत किया है जिसे अन्य शहर भी अपनाकर स्वच्छता को जनआंदोलन बना सकते हैं।उन्होंने जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि निरंतर अपनाई जाने वाली जीवनशैली है। सीएसआई श्रेणी में विजेताओं में मानसरोवर जोन के ताराचंद जांगिड़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुरलीपुरा जोन की नीलम शर्मा द्वितीय स्थान पर रहीं, जबकि झालाना जोन के प्रेम सिंह देवड़ा को तृतीय स्थान मिला।इस अवसर पर राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सीईओ नितिन अग्रवाल के तत्वावधान में विजेताओं को सीएसआर के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। नगर निगम आयुक्त डॉ. ओम कसेरा ने इस सफल अभियान के लिए सभी सफाईकर्मियों और मीडियाकर्मियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और सकारात्मक सहयोग से ही यह अभियान जनआंदोलन का रूप ले पाया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी समर्पण और जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता कार्य को निरंतर जारी रखना होगा।

गर्भवती महिला से छेड़छाड़ करने वाला हथियार तस्करी नेटवर्क का सरगना

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे आदतन अपराधी राहुल घुरैया उर्फ राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके अवैध हथियार तस्करी नेटवर्क का भी खुलासा किया है। आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है और पिछले करीब ढाई साल से जयपुर में पहचान छिपाकर रह रहा था।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजिता शर्मा के अनुसार आरोपी सांगानेर, प्रताप नगर और मानसरोवर क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के संपर्क में था तथा उन्हें अवैध हथियार सप्लाई करता था। आरोपी जयपुर में किराए के मकान में रहकर स्पा सेंटर में काम कर रहा था, जिसकी जानकारी लंबे समय तक पुलिस को नहीं लग पाई।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हथियार हासिल करने की कोशिश में था और -47 खरीदने के लिए पाकिस्तान की एक वेबसाइट के संपर्क में था। वह सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो भी अपलोड करता था, जिसके चलते मध्यप्रदेश पुलिस उसकी तलाश में थी।

इस मामले का खुलासा 25 मार्च 2026 को मालवीय नगर सेक्टर-9 में गर्भवती महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद हुआ। पीड़िता ने 26 मार्च को जवाहर सर्किल थाने में शिकायत दी थी, लेकिन प्रारंभ में मामला दर्ज नहीं किया गया। बाद में घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच तेज की गई।

दबिश के दौरान आरोपी ने मुरैना कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया। पूछताछ में आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के कुल 33 मामले दर्ज होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अवैध पिस्टल बरामद कर दो अलग-अलग मामलों में ओमप्रकाश उर्फ ओमी बन्ना और राज अहीरवाल उर्फ छोटा राज को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा आरोपी को शरण देने के आरोप में निवाई (टोंक) निवासी शुभम अग्रवाल उर्फ सिद्धार्थ और बाबूलाल बराला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो जयपुर में स्पा सेंटर संचालित कर रहे थे।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया था और मकान मालिकों ने किरायेदार सत्यापन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी ने किन-किन लोगों को हथियार सप्लाई किए।

MUNICIPAL CORPORATION KOTA (RAJ.)
Add :- C.A.D. Circle, Dusshehra Ground, kota
No. :NNK/ELECT/2026/136-143 Date : 20-04-2026
Notice -Inviting Bid
Bid for **Shifting of HT/LT Line on proposed road from Kaithunipole to Sabarmati Colony Iron Bridge) in Municipal Corporation Kota."** are invited from interested bidders from 22.04.2026 to 12.05.2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and www.kotamc.org. department website.
Estimated Amount : 232.79 Lac
NIB code DLB2627A0739 and UBN is: DLB2627GLOB02157
Executive Engineer
Municipal Corporation, Kota
Raj.Samwad/C/26/1403

कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर-15)
क्रमांक :- जसअ/2026/33 दिनांकः 17.04.2026
ई-निविदा सूचना संख्या:- 03/2026-27
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से अधि० अभि० (प्रोजेक्ट-प्रथम) से सम्बन्धित Construction of Boundary wall at Transfer Station, Sitapura. कार्य की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in, www.jaipurmc.org & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
NIT No. 03/2026-27 UBN No. :- JMC2627WSOB00067
अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट-प्रथम)
नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/26/1408

कार्यालय नगर निगम जयपुर
सेक्टर-9 गोखले मार्ग, शिप्रा पथ रोड मानसरोवर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2026/32 दिनांकः 17.04.2026
ई-निविदा सूचना सं. अधि० अभि० (मानसरोवर जोन) -04/2026-27
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम जयपुर के पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि० अभि० (मानसरोवर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्य की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व http://sppp.raj.nic.in & eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। जिसका sppp पोर्टल यू.बी.ई.एन. नं. JMC2627WSOB00060 है। उक्त निविदा को http://sppp.raj.nic.in पर दिनांक 15.04.2026 को अपलोड करवा दिया जायेगा।
अधिशाषी अभियन्ता
मानसरोवर जोन
नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/26/1406

'दोपहर 12 से 3 बजे तक अनावश्यक बाहर नहीं निकलें'

प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू को देखते हुए चेतावनी जारी

जयपुर, (हि.स.)। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान और संभावित लू (हीटवेव) की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने आमजन के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने नागरिकों, नियोक्ताओं और पशुपालकों को आवश्यक सावधानियां अपनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि गर्मी के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।

उप शासन सचिव शैफाली कुशवाहा ने बताया कि गर्मी/लू-ताप की लहर (क्या करें और क्या न करें) विषयक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का अतिरिक्त ध्यान रखने की सलाह दी है।

एडवाइजरी के अनुसार लोगों को नियमित रूप से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के साथ ओआरएस, लस्सी, छाछ और नींबू पानी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है।

धूप में निकलते समय हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें तथा सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर रखें। आंखों और त्वचा की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा और सनस्क्रीन का उपयोग करने की भी सलाह दी गई है।

विभाग ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। खाली पेट या भारी भोजन कर धूप में जाने से बचें। साथ ही शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के सेवन से परहेज करने को कहा गया है, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ाते हैं। नियोक्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कार्यस्थलों पर शीतल पेयजल, ओआरएस और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रमिकों के लिए छायादार स्थान उपलब्ध कराए जाएं और भारी काम सुबह या शाम के समय ही कराया जाए। साथ ही हीट स्ट्रेस के लक्षणों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाने को कहा गया है।पशुपालकों को पशुओं को छायादार स्थान पर रखने और स्वच्छ ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक पशुओं से काम नहीं लेने की सलाह दी गई है। शेड की छतों को ठंडा रखने के लिए पुआल या चूने का उपयोग करने और हरे चारे के साथ मिनरल मिक्स देने पर भी जोर दिया गया है।यदि किसी व्यक्ति को चक्कर, कमजोरी, सिरदर्द या अत्यधिक पसीना आए तो उसे तुरंत ठंडे स्थान पर ले जाकर गीले कपड़े से शरीर ठंडा करें और ओआरएस या नींबू पानी दें। गंभीर स्थिति जैसे बेहोशी या तेज बुखार होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं या आपातकालीन सेवाओं 108 या 112 पर संपर्क करें। राज्य सरकार ने आमजन से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन कर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।

आरएसी अलंकरण समारोह में डीजीपी प्रदान करेंगे पदक

जयपुर। राजस्थान पुलिस की पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर के मुख्यालय पर शुक्रवार को एक भव्य अलंकरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में आरएसी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए डीजीपी डिस्क प्रशस्ति रोल और उत्कृष्ट/अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा होंगे। कमाण्डेन्ट अनिल कुमार द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह कार्यक्रम अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन्स रुपिंदर सिंह के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है।

कमाण्डेन्ट अनिल कुमार ने बताया कि अलंकरण समारोह शुक्रवार सुबह 07:45 बजे से शुरू होकर 10:30 बजे तक चलेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक 90A/JDA/2026-27/100654 **लोक सूचना** दिनांक: 23.04.2026
श्री LUXURY ESTATES THROUGH PARTNER श्री JITENDRA KUMAR DUA पुत्र श्री KAMAL KISHORE DUA जाति PANJABI निवासी 55 NANDPURI COLONY, MALVIYA NAGAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिभृति अधिकारी के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	आवंटन क्षेत्रफल (है.)
1	खेड़ाजगन्नाथ पुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) लक्जरी एस्टेट हिस्सा पूर्ण पता प्लॉट न. 55 नंदपुरी मालवीय नगर जयपुर खातेदार	944/902	0.1074	0.1074
2			946/908	0.0026	0.0026
3			738/118	0.02	0.02
4			742/138	0.02	0.02
			कुल		0.15

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त विहित समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23-04-2026 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:267 जाहिर आम-सूचना दिनांक:21.04.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में फ्लैट संख्या B/16/11 (SF) (MIG-A), (एरिया 28.017 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री दुर्गादत्त शर्मा को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 10946 दिनांक 14.02.2012 को जारी किया गया। श्री जय प्रकाश शर्मा की मृत्यु दिनांक 29.04.2021 को हो जाने के कारण घोषणा पत्र, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र एवं राशन कार्ड के आधार पर इनके पुत्र श्री अनुराग शर्मा पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश शर्मा द्वारा उक्त फ्लैट को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्री अनुराग शर्मा पुत्र स्व. श्री जय प्रकाश शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक 90A/JDA/2026-27/100655 **लोक सूचना** दिनांक: 23.04.2026
श्री KAMAL KISHORE DUA पुत्र श्री RAJA RAM DUA जाति PANJABI निवासी 55, NANDPURI COLONY, MALVIYA NAGAR, JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिभृति अधिकारी के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	आवंटन क्षेत्रफल (है.)
1	खेड़ाजगन्नाथ पुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) कमल किशोर दुआ पुत्र राजाराम दुआ हिस्सा पूर्ण जाति पंजाबी निवासी प्लाट न. 55 नंदपुरी कोलोनी मालवीय नगर जयपुर खातेदार	945/902	0.0076	0.0076
2			947/908	0.0024	0.0024
3			899/740	0.0675	0.0675
4			904/734	0.025	0.025
5			907/736	0.015	0.015
			कुल		0.1175

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वाचन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर 'विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें' Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त विहित समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23-04-2026 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता (किशनपोल जोन) नगर निगम जयपुर
(सोफिया स्कूल के सामने, घाटगेट जयपुर)
क्रमांक :- ज.स.अ./2026/37 दिनांक :- 20/04/2026
ई-निविदा सूचना संख्या - 17 से 20/2026-27 किशनपोल जोन
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से अधिशाषी अभियन्ता (किशनपोल जोन) से सम्बन्धित विकास कार्यो हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in तथा www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी व डाउनलोड की जाकर पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।
स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल का Unique Bid Number JMC2627WSOB00057, JMC2627WSOB00058, JMC2627WSOB00059 एवं JMC2627WSOB00066 है।
अधिशाषी अभियंता (किशनपोल जोन)
नगर निगम जयपुर
राज.संवाद/सी/26/1351

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
क्रमांक : न.नि.भ./स्कीम/2025-26/25850 दिनांक : 27.03.2026
सार्वजनिक सूचना
जसवंत नगर योजना भरतपुर के भूखण्ड संख्या 232 क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज का आवासीय रूपान्तरण पट्टा विलेख क्रमांक 1267 दिनांक 31.07.2009 नगर सुधार न्यास, भरतपुर द्वारा श्रीमती अंजना पत्नी श्री दीनदयाल तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी - मौहल्ला गोपालगढ़, भरतपुर के नाम जारी किया गया। श्रीमती अंजना पत्नी श्री दीनदयाल तिवारी ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.06.2014 को श्री शंकरलाल, श्री दीपचंद पिसरान श्री नारायण लाल को विक्रय कर दिया। श्री शंकरलाल, श्री दीपचंद पिसरान श्री नारायणलाल ने उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.03.2026 को श्री गोविन्द शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा को विक्रय कर दिया। आवेदक श्री गोविन्द शर्मा पुत्र श्री हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी - नगला हरसुख पोस्ट बिजवारी तह० वैर जिला भरतपुर उक्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन कराना चाहते हैं।
भूखण्ड संख्या 232, जसवंत नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा की जानी है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम, भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद भूखण्ड संख्या 232, जसवंत नगर, भरतपुर का नाम परिवर्तन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रभारी अधिकारी
स्कीम शाखा, नगर निगम, भरतपुर